न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

वासगीत अपील वाद संख्या– 132/2005–06

चिरंजीव चौधरी वनाम मिश्री खतवे वगै0

–:: आदेश ::–

29.7.15

प्रस्तुत वासगीत पर्चा अपील अपीलार्थी चिरंजीव चौधरी द्वारा अंचलाधिकारी, महिषी के वासगीत वाद 12/04–05 में मिश्री खतवे वगै0 के नाम 11 डीसमल जमीन का निर्गत पर्चा के विरूद्ध दाखिल किया गया है। प्रतिपक्षी मिश्री खतवे की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र राम लोचन शर्मा, किशोरी शर्मा, मोती शर्मा एवं मोहन शर्मा को प्रतिस्थापित किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि मौजा– गण्डौल, थाना नं0– 72, नया खाता– 13, नया खेसरा– 2698, रकवा – 11 डीसमल भूमि का पर्चा के लिए अंचलाधिकारी, महिषी को कार्यालय में वासगीत वाद 4/2001-02 प्रारंभ किया गया था तथा जांचोपरान्त दिनांक – 07.01.2004 को उक्त वाद खारीज कर दिया गया। पुनः उसी भूमि के लिए प्रतिपक्षियों द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवेदन दाखिल किया गया, जिसपर वासगीत वाद 12/04–05 में दिनांक– 02.05.2004 को प्रतिपक्षियों के पक्ष में बिना जमीन मालिक को कोई सूचना दिये पर्चा निर्गत कर दिया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी का यह कथन है कि उक्त भूमि पर उनका सदियों से घर मकान है, सर्वथा गलत है क्योंकि हाल सर्वे खतियान जिसका अंतिम प्रकाशन 1986 में हुआ है उक्त जमीन भीठ– 2 दर्ज है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 1986 तक वहाँ कोई घर नहीं था। अग्रतर अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षी का घर मकान जिस खेसरे में है उसका खाता भी उसी विपक्षी के नाम से खुला है तथा उसमें विपक्षी का मकान मय सहन दर्ज है। ऐसी स्थिति में जिस जमीन पर विपक्षी का घर मकान ही नहीं है का पर्चा उन्हें नहीं दिया जा सकता। विपक्षी के खतियान तथा प्राप्त भूमि से संबंधित केवाला भी अपीलार्थी ने दाखिल किया है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि वसोवास के लिए यदि किसी व्यक्ति को भूमि नहीं है तो सरकार द्वारा भूमि खरीद कर दी जा सकती है न कि अपीलार्थी की भूमि का पर्चा दिया जा सकता है।

अग्रतर अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि एक बार वासगीत पर्चा का कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के बाद फिर उसी जमीन के लिए अंचलाधिकारी द्वारा कार्यवाही करना कहाँ तक न्याय संगत है। अंचलाधिकारी को अपने ही आदेश का पुर्नविलोकन का अधिकार नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक मं अंचलाधिकारी महिषी द्वारा वासगीत पर्चा वाद– 2/04–05 में

निर्गत वासगीत पर्चा को रद्ध करने की याचना की गयी है। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि वासगीत पर्चा निर्गत किये जाने संबंधी अफवाहन जानकारी दिसम्बर, 2005 में मिलने पर दिनांक – 07.12.2005 को आदेश की प्रति के लिए आवेदन दिया गया तथा आदेश की प्रति दिनांक– 08.12.2005 को उन्हें ह्स्तगत हुआ। इसतरह हुए विलम्ब क्षान्ति के लिए भी याचना किया गया है। प्रतिपक्षी गण का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा लाया गया अपील वाद कालवाधित है। अंचल अधिकारी, महिषी द्वारा दिनांक– 02.05.2004 को आदेश पारित किया गया है, जबकि अपील दिनांक– 16.11.2005 को दाखिल हुआ है। विलम्ब क्षान्ति के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा– 5 के अन्तर्गत विलम्ब के प्रतिदिन का कारण देना होता है। दिसम्बर– 2005 में बिना किसी तिथि के अफवाहन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अपील वाद बिना प्रतिपक्षी को विलम्ब के बिन्दु पर सुने स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अपील वाद की कंडिका– 1, 2 आंशिक सही है। कंडिका–3 में अंचल निरीक्षक का उल्लिखित प्रतिवेदन जाल एवं बनावटी है चूँकि अंचल निरीक्षक ने स्थल की जांच ही नहीं की। कंडिका– 4,5 में उल्लिखित तथ्यों से भी आंशिक रूपसे इन्कार किया जाता है। क्योंकि बासगीत वाद 12/2004–05 प्रतिपक्षी द्वारा समर्पित आवेदन पर प्रारंभ किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को थी। कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.05.2004 को वासगीत पर्चा अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है। कंडिका–6 में अपीलार्थी ने आरोप को खारीज करते हुए प्रतिपक्षी का कहना है कि वासगीत वाद की जानकारी रहते हुए अपीलार्थी ने समय सीमा के अन्दर कोई अपील दाखिल नहीं किया। इस तरह अपील वाद स्वीकार योग्य नहीं हैं। कंडिका–7 में निहित विलम्ब क्षान्ति के बिन्दु पर उल्लिखित तथ्य से इन्कार किया जाता है चूँकि इसमें तिथिवार विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है। कंडिका–8 में निहित तथ्य से इन्कार करते हुए दिनांक– 02.05.2004 को पारित आदेश को वैधानिक बतलाया गया है। कंडिका– 1,3 में उल्लिखित तथ्यों पर प्रतिपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिपक्षियों का घर पाये जाने पर ही जूडिशियल माईन्ड अप्लाई करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी के पास कोई दूसरी वास भूमि नहीं है। जमाबंदी प्रतिपक्षी के नाम कायम कर उन्हें अद्यतन रसीद निर्गत की गयी है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कीचन गार्डेन कभी नहीं रहा है। अंचलाधिकारी ने जॉचोपरान्त संतुष्ट होकर ही वासगीत का पर्चा निर्गत किया हे। पारित आदेश में कोई अनियमितता अथवा गलती नहीं है, जिस पर अपीलेट ऑथिरिटी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अन्ततः प्रतिपक्षी ने अपील वाद को खारीज करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि वासगीत वाद 12/2004–05 में उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। इस भूमि को लेकर पूर्व में चलाये गये वाद 4/2001–02 में दिनांक– 07.01.2004 को आदेश पारित हो चुका है, जिसमें विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया इसके अतिरिक्त विपक्षीगण भूमिहीन नहीं है। अपीलार्थी की ओर से वासगीत वाद संख्या– 4/2001-02 संधारित होकर दिनांक– 21.01.2004 को वाद खारीज होने की कथन के संबंध में अभिलेख के सत्यापित प्रति का छाया प्रति दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा पुनः वाद संख्या– 12/2004–05 संधारित कर प्रतिपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि BPPHT Act 1947 के धारा– 2 एवं Rules 1948 के नियम– 5 के अन्तर्गत उभय पक्षों को सुनकर विधि सम्मत ओदश पारित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

21.7.2015

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1923-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अंचलाधिकरी, महिषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
31.7.15